न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 10/25 GCMS NO 2025/14

नाथ्या उर्फ नाथूलाल पुत्र दुर्गा जाति मीना निवासी ग्राम पूनेता तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. बाबूलाल पिता कल्याण
2. कालूलाल पिता कल्याण जातियान मीना निवासीयान चौकीदार मोहल्ला गंगापुर सिटी
3. नारंगी देवी पुत्री कल्याण जाति मीना निवासी चौकीदार मोहल्ला गंगापुर सिटी
4. तोफी देवी पुत्री कल्याण जाति मीना निवासी चौकीकार मोहल्ला गंगापुर सिटी
5. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बौली जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 86/22 निर्णय दिनांक 23.12.24 न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री राजेश कुमार मीना

अभिभाषक रैस्पो0 श्री इंसाफ अली

दिनांक 19.6.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 23.12.24 न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक ख0न0 1250 रकबा 5 बीघा 2 विस्वा, 1251 रकबा 11 विस्वा, 1260 रकबा 12 विस्वा वाके ग्राम पूनेता तहसील बौली पर पूर्व मे वादी के पिता दुर्गा एवं दूर्गा से पूर्व उनके पिता का कब्जा काश्त रहा है। वादी के पिता दुर्गा के फौत होने के पश्चात वादी का लगातार निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि की खातेदारी गलत से कल्याण पुत्र जुवारया मीना निवासी पूनेता के नाम लग गई थी। जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति काफी वर्षो से ग्राम पूनेता मे नही है एवं न ही उसका इस भूमि पर कभी कब्जा रहा है। हाल सेटलमेंट मे साबिक ख0न0 1250 रकबा 5 बीघा 2 विस्वा, 1251 रकबा 11 विस्वा, 1260 रकबा 12 विस्वा के नये खसरा न0 1506 रकबा 0.03 है0, 1515 रकबा 1.47 है0 1517 रकबा 0.02 है0, 1519 रकबा 0.06 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.58 है0 बने है। साबिक ख0न0 1250 रकबा 5 बीघा 2 विस्वा वाके ग्राम पूनेता की खातेदारी गलत रूप से कल्याण पुत्र जुबारया के नाम दर्ज हो गई जबकि कल्याण पुत्र जुबारया का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। बल्कि हाल ख0न0 1506 रकबा 0.03 है0, 1515 रकबा 1.47 है0 1517 रकबा 0.02 है0, 1519 रकबा 0.06 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.58 है0 पर कब्जा वादी के बुजुर्गो के समय से ही चला आ रहा है। इस प्रकार वादी का पुराना कब्जा होने के आधार पर उक्त वर्णित भूमि को कल्याण पुत्र जुबारया के स्थान पर अपने नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

खातेदारी लगवाने का अधिकारी है। इस प्रकार उक्त भूमि पर प्रार्थी का काफी लम्बा समय से कब्जा चला आ रहा है। सेटलमेंट की ग़लती के आधार पर अप्रार्थीगण प्रार्थी को जबरन बेदखल करने पर आमादा है। जिसके लिए उनको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना आवश्यक है एवं उक्त भूमि की वर्तमान खातेदारी से कल्याण पुत्र जुबारया का नाम हजफ कर वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह उक्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपनी सामान्य दिनचर्या मे पारित किया है। जो निरस्त योग्य है तथा निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट के हितो को दरकिनार करते हुए अपनी मनमर्जी का निर्णय पारित किया है। इसका प्रमाण अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23.12.24 को अस्वीकार करके खारिज किया है ना कि खारिज क्योकि अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात को दबे मन से माना कि रेस्पो0 ग्राम पूनेता के मूल निवासी व स्थाई निवासी नही है और उनके पिता कल्याण पुत्र जुबारया मीना के नाम वादग्रस्त भूमि राजस्व कर्मचारियो की गलती से या रेस्पो0 के पिता के प्रभाव मे आकर जमाबंदी मे दर्ज हो गई है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। रेस्पो0 ने मात्र यह अपने जबाब मे यह कहकर इतिश्री कर ली कि उक्त भूमि उनके पिता कल्याण मीना के नाम पर आवंटित हुई थी जबकि यह सरासर गलत है। क्योकि रेस्पो0 ने अपने पिता के नाम पर भूमि आवंटन आदेश दिनांक व न्यायालय के नाम का कोई उल्लेख नही किया है कि उनके पिता को उक्त वादग्रस्त भूमि का आवंटन किस न्यायालय व न्यायाधीश /पीठासीन अधिकारी ने किस दिनांक को किया गया है। रेस्पो0 के पिता को वादग्रस्त भूमि का आवंटन नही हुआ है बल्कि रेस्पो0 के पिता कल्याण पुत्र जुबारया मीना ने जैक जुगाड के प्रभाव मे लेकर राजस्व कर्मचारियो को लेकर या मिलकर के वादग्रस्त भूमि मे स्वयं का नाम सीधे ही जमाबंदी मे अंकित कराया है। जिसकी जानकारी अपीलांट को होते ही उसने सक्षम न्यायालय मे न्याय प्राप्ति की आशा मे वादी अपीलांट के हितो को अनदेखा करके निर्णय दिया जो विधि विरूद्व है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 86/22 मे दिनांक 7.7.23 को एक प्रार्थना पत्र पेश करवाया। जिसके अनुसार न्यायालय को मौका कमिश्नर की रिपोर्ट मंगवाई जाती जिससे यह साफ साफ स्पष्ट हो जाता कि वादग्रस्त भूमि पर किसका कब्जा कब से चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

रेस्पो0 के प्रभाव मे आकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 सीपीसी का कोई महत्व नही दिया। जिसके तहत वादग्रस्त भूमि पर मौका कब्जा किसका है। इस बात की स्पष्ट लिखित जानकारीं न्यायालय को प्राप्त होती जो वाद पत्र के निस्तारण का भी मुख्य भाग है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। मात्र रेस्पो0 ने अपने नाम की खसरा गिरदावरी व जमाबंदी के आधार पर यह दर्शाया है कि वादग्रस्त भूमि उनकी है। जबकि वास्तविकता मे अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर अपने बुजुर्गान के समय से ही अर्थात दुर्गा पुत्र रामल्यो मीना व उसके पूर्वजो से कब्जा रिकार्डेड जमाबंदी मे चला आ रहा है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या 5 से भी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने से पहले वादग्रस्त भूमि की कब्जे संबंधी तथ्यात्मक रिपोर्ट अपने अधिनस्थ कार्मिक या गठित टीम के द्वारा प्राप्त करनी चाहिए थी। जो प्राप्त नही की गई है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अतःअपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि हमारे पिता कल्याण ग्राम पूनेता के निवासी है तथा ग्राम पूनेता मे उक्त भूमि पर काफी समय से काबिज काश्त होने के कारण पुराने कब्जे के आधार पर उक्त भूमि कल्याण को अलोट की गई थी जिस पर जब तक कल्याण जीवित था तब तक उनका तथा उनके बाद हम रेस्पो0 काबिज काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि से अपीलांट या उसके पूर्वजो के काश्त की रही थी तो उक्त भूमि हमारे पिता कल्याण को अलोट होते ही अपीलांट या उसके पूर्वजो द्वारा आवंटन को निरस्त कराने हेतु कार्यवाही की जानी चाहिए थी। जो अपीलांट व उसके पूर्वजो द्वारा आज तक नही की गई है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट का उक्त भूमि से कोई संबंध वास्ता नही है। उक्त भूमि रेस्पो0के स्वामित्व एवं अधिकारी की भूमि है जो हमारे पिता कल्याण की खातेदारी मे दर्ज है तथा कल्याण का स्वर्गवास हो जाने से उनकी विरासत का नामा0 रेस्पो0 के नाम खुलना है। जिसको रूकवाने की नियत से ही अपीलांट द्वारा मनगढन्त कहानी बनाकर अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दु प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओ का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। रेस्पो0 उक्त आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। किसी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन जारी नही की जा सकती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की प्रकिया के तहत ही अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधिक रूप से खारिज किया है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आया कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा विवादित आराजीयात पर अपना कब्जा बताते हुए अधिनस्थ न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। परन्तु अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे विवादित भूमि पर कब्जा होने एवं किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:37:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रकार का राजस्व रिकार्ड उनके नाम होने के संबंध मे कोई रिकार्ड पेंश नही किया है ना ही अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे पेश किया है। जिससे की भूमि पर कब्जा एवं खातेदारी अपीलांट की सिद्व हो सके। अपीलांट द्वारा केवल मात्र एडवर्स पजेशन के आधार पर रेस्पो0 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई है। जबकि कानून मे एडवर्स पजेशन के आधार पर किसी खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। विवादित आराजीयात की खातेदारी कल्याण पुत्र जुबारया के नाम दर्ज रिकार्ड है जो रेस्पो0 के पिता है। जो जमाबंदी सम्वत 2076–2079 से स्पष्ट है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति की विवेचना किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली के मु0न0 86/22 निर्णय दिनांक 23.12.24 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.6.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:14 IST
Reason: SelfAttested